भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3136
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

चुनावों पर व्यय

3136. श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली क्या है ;

(ख) क्या आम चुनाव सहित अन्य चुनावों के विषय में भारत के राजकोष द्वारा भारी व्यय किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ग) भारत के निर्वाचन आयोग और प्रत्याशियों सहित राजनीतिक दलों के इस व्यय को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार राजनीतिक दलों का वित्तदाय निर्वाचन आयोग के माध्यम से करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में निर्वाचक सूची तैयार करने और संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण निहित है । संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 ईसीआई के कार्यों, उत्तरदायित्वों, संरचना और शक्तियों को परिभाषित करते हैं । ईसीआई ने सूचित किया है कि संवैधानिक ढांचे के भीतर, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराने के लिए मजबूत डिजाइन अंतर्निहित है और कई वर्षों से इसने राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए दिशानिर्देश, निर्देश, मैनुअल, हैंडबुक, चेकलिस्ट आदि जारी किए हैं ।

भारत निर्वाचन आयोग ने और सूचित किया है कि उसने 18 साधारण निर्वाचन और लगभग 400 विधानसभा निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन और द्विवार्षिक निर्वाचन कराए हैं । निर्वाचक सूची के सारांश पुनरीक्षण, मतदान की घोषणा, मतदान के लिए ईवीएम तैयार करने आदि से आरंभ होने वाले प्रत्येक चरण में, राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से परामर्श किया जाता है । राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है । इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी अधिनियम, 1951) के अनुसार कोई भी पीड़ित अभ्यर्थी/ निर्वाचक परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है।

(ख) : लोकसभा के निर्वाचनों के संचालन पर व्यय भारत सरकार द्वारा और राज्य विधायिकाओं के निर्वाचनों के संचालन पर व्यय, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, जब ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र रूप से होते हैं, वहन किया जाना है । इसके अलावा, यदि ये निर्वाचन एक साथ होते हैं, तो व्यय संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

(ग) : ईसीआई ने सूचित किया है कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा व्ययों को कम करने के लिए आयोग द्वारा कई उपाय किए गए हैं।

राजनीतिक दलों के लिए :

ईसीआई ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि यदि दल अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है, तो ऐसी सहायता विहित सीमा से अधिक नहीं होगी । दल द्वारा इस संबंध में कोई भी भुगतान केवल क्रॉस अकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से या बैंक अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा, न कि नकद में । इसके अलावा, राजनीतिक दलों को ईसीआई के समक्ष प्रत्येक निर्वाचन का वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण, योगदान रिपोर्ट और निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसे ईसीआई और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ।

अभ्यर्थी के लिए :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अधीन, निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, उस तारीख को, जिसको उसका नामांकन किया गया है और उस तारीख के बीच, जिसको उसका परिणाम घोषित किया जाता है, दोनों तारीखें सम्मिलित हैं, निर्वाचन के संबंध में उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक् और सही लेखा रखेगा । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(3) के अधीन, उक्त व्यय का कुल योग निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अधीन निर्धारित रकम से अधिक नहीं होगा ।

ईसीआई ने और सूचित किया है कि विधिक व्यय को अनुमेय सीमा के भीतर रखने, एक सही खाता बनाए रखने और अवैध व्यय की जांच करने के लिए, आयोग ने चुनाव व्यय निगरानी पर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं । आयोग अभ्यर्थियों के चुनाव खर्चों का निरीक्षण करने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है, व्यय पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए सहायक व्यय पर्यवेक्षक (एईओ) और फ्लाइंग स्क्वाड और स्थिर निगरानी दल (एफएस और एसएसटी) चुनावों में बेहिसाब धन जब्त करने के लिए, वीडियो निगरानी दल (वीएसटी), वीडियो देखने वाली टीम (वीवीटी), रैलियों/बैठकों से जुड़े चुनाव खर्चों पर नजर रखने के लिए और चुनाव खर्चों के लिए छाया अवलोकन रजिस्टर (एसओआर) बनाए रखने के लिए, लेखा टीम अवैध शराब के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आबकारी टीम और विज्ञापन और भुगतान समाचार पर कड़ी नजर रखने के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) । आयोग ने अभ्यर्थियों को अपना नामांकन दाखिल करने से पहले निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से एक अलग बैंक खाता खोलने और 10,000/- रुपये से अधिक का निर्वाचन व्यय चैक, डिमांड ड्राफ्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अलग बैंक खाते से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मोड माध्यम से उठाने के लिए भी कहा है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है । निर्वाचन व्यय के लेखा के साथ, अभ्यर्थियों को विहित प्ररूप में निर्वाचन व्यय का सार विवरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है । डीईओ को, व्यय पर्यवेक्षकों द्वारा प्रत्येक निरीक्षण की तारीख तक निरीक्षण किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के रजिस्टर का भाग और अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अपेक्षित है, जिसका एक लिंक सीईओ की वेबसाइट को दिया गया हो ।

(घ) : भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

****